कार्यालय जिलाधिकारी कानपुर नगर।

पत्र सं0-25[illegible]/तीस–उपखनिज दिनांक-नवम्बर[illegible],2014

आवेदक ए0 आर0 डेवल्पर्स प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर आत्मा प्रकाश खत्री नि0 55/63 काहू कोठी तहसील सदर जनपद कानपुर नगर द्वारा गीता नगर के गाटा सं0–523,524 में बेसमेन्ट निर्माण हेतु मशीनों के प्रयोग न करने तथा हस्तचालन विधि से 2 मीटर गहराई तक 5332 घन मीटर साधारण मिट्टी के निकासी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और 2000/–(दो हजार रूपये) मात्र का प्रार्थना पत्र शुल्क तथा 14–00 रूपये प्रति घनमीटर की दर से साधारण मिट्टी की रॉयल्टी रूपया 5332 x 14.00 = 74,648/–(चौहत्तर हजार छः सौ अडतालिस रूपया) एवं एम0एम0–11 की छपाई हेतु 500 मात्र अग्रिम भुगतान चालान सं0- 50080 दिनांक–01.11.14 द्वारा कुल मु0 75148/–(पछत्तर हजार एक सौ अडतालिस रूपया) मात्र जमा कर दिया है। वर्तमान में शासनादेश सं0–3514/86–2012– 235/2010 दिनांक 24.12.2012 द्वारा उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली 1963 में 35वां संशोधन 2012 द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की बाध्यता को समाप्त किये जाने दृष्टिगत संशोधित नियमावली के नियम–3 में तथा नियम–21–1 के बाद उप नियम–(1–क) निम्नवत् जोड़ दिया गया है। ईंट बनाने हेतु हस्तचालन से खुदाई द्वारा द्वारा अथवा हस्तचालन से सामान्य मिट्टी को निकालने की किया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आयेगा जबतक की खनन स्थल की गहराई 02 मीटर से अधिक न हो। अतः उक्त शासनादेश के कम में उपरोक्त शर्तों का पालन करने की दशा में साधारण मिट्टी के निकासी करने की अनुमति दी जा सकती है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 31.10.2014 के अनुपालन में निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए एच0ई0एम0एम0 का प्रयोग न करते हुये नीचे अंकित भूमि से 5332 घनमीटर उपखनिज साधारण मिट्टी के निकासी हेतु आज दिनांक 01.11.2014 से 31.01.2015 तक 03 माह (तीन माह) की अवधि अथवा 5332 घन मीटर निकासी, इसमे से जो भी पहले हो, के लिये निकासी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमि के ब्योरे

तहसील	जनपद	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
सदर	कानपुर नगर	गीता नगर	523,524	2000 वर्ग मीटर

शर्तें

1 आवेदक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की प्रतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उनके उत्पन्न होते ही स्वंय निश्चित करेगा।

2 आवेदक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू–गृहादि,सार्वजनिक समारोह या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पहुँचे।

3 आवेदक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्त प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

4 खनिज मात्रा की निकासी व परिवहन का सम्पूर्ण ब्योरा, स्टाक रजिस्टर में रखेगा एवं उसका विवरण प्रत्येक माह की तारीख तक कार्यालय को उपलब्ध करायेगा।

5 आवेदक को प्रदत्त अनुमति विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की दिनांक तक या ऐसे दिनांक जबतक खनिज की अनुज्ञा मात्रा हटा न ली जाये, इसमें से जो भी पहले हो, तक वैध होगा।

6 आवेदक केवल हस्तचालन विधि से साधारण मिट्टी का निकासी करेगा। यदि किसी भी समय मशीनों का प्रयोग करते हुये पाया जायेगा तो उसको प्रदत्त अनुमति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।

7 आवेदक साधारण मिट्टी का निकासी हस्तचालन विधि से मात्र 2.मीटर गहरायी तक करेगा।

अपर नगर मजिस्ट्रेट (सप्तम)
प्रभारी अधिकारी (खनिज)
कानपुर नगर।

प्रतिलिपिः–

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
2. उपजिलाधिकारी सदर को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार सदर स्थल पर अनुज्ञा के अनुसार वास्तविक नाप कराकर फ्लैग लगवा दे, तथा सम्बन्धित लेखपाल को निर्देशित भी करे कि वह निरन्तर इनके खदान पर निगरानी रखें।
4. थानाध्यक्ष कल्यानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. ए0 आर0 डेवल्पर्स प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर आत्मा प्रकाश खत्री नि0 55/63 काहू कोठी तहसील सदर जनपद कानपुर नगर को अपने अनुज्ञा क्षेत्र के अनुसार वास्तविक नाप कराकर फ्लैग लगवाकर ही मिट्टी खनन का कार्य शुरू करेंगें।

अपर नगर मजिस्ट्रेट (सप्तम)
प्रभारी अधिकारी (खनिज)
कानपुर नगर।